विकास वर्मा–।

अपर जनपद न्यायाधीश/पूर्णकालिक
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चन्दौली।

सेवा में,

श्रीमान् , महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश
चन्दौली।

विषयः– वर्ष 2023–24 में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश आगरा द्वारा दिये गये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (रिमार्क सं0 3–State of health एवं Other any Remark में सुधार एवं समग्र आकलन के उन्नयन के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि श्रीमान् , जनपद न्यायाधीश आगरा द्वारा गोपनीय प्रविष्टि के रिकार्ड नं0 3– State of health में अभिव्यक्त किया गया है कि "The officer needs to take due case of his health as during the year in questions, he was reported to have fallen ill in the intermittently at various intervels of time तथा रिमार्क संख्या –4 " The number of civil cases decided is not adequate as compared to the pendency of such cases in his court. The officer shuld also endeavour to decide appropriate case on the basis of compromise/alternate dispute resolvtion methods" के संबंध में प्रार्थी का निम्नलिखित निवेदन है–

1. वित्तिय वर्ष 2023–24 की अवधि में प्रार्थी का दिनांक 28.04.2024 को ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण तबियत खराब हुई थी जो कि प्रार्थी के नियंत्रण में नहीं था। मेरे तबीयत खराब होने के कारण मेरे न्यायिक कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। मेरे द्वारा निर्धारित यूनिट (727.68) से अत्यधिक यूनिट (1134.39) का कार्य किया गया है जैसा कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि में उल्लेख भी किया गया है। स्वास्थ्य खराब होने के पश्चात भी निर्धारित मानक से अधिक कार्य सम्पादित किया गया है जिसको श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विचार नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकता है क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिसका नियंत्रण स्वयं पर नहीं होता है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सेवारत कर्मचारी को सेवा काल में एक वर्ष का स्वास्थ्य अवकाश एवं प्रत्येक माह स्वास्थ्य भत्ता अनुमन्य है। ऐसी स्थिति में उक्त अभिमत को वार्षिक प्रविष्टि में सुधार किया जाना चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 17 वर्ष से अधिक सेवा काल में स्वास्थ्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

25.06.2024

2. जहां तक पर्याप्त मात्रा में सिविल वादों के निस्तारण के संबंध में अभिमत है इसके संबंध में निवेदन है कि मेरे द्वारा अप्रैल,मई,जून (सिविल कार्य नहीं होता है) जुलाई 2023 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 14 के रूप में कार्य किया गया है, उसके पश्चात् माह अगस्त 2023 से मुझे अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) का कार्य श्रीमान् जनपद न्यायाधीश आगरा के आदेश संख्या 143/2023 दिनांकित 27 जुलाई 2023 सौंपा गया था, जो कि एक संवेदनशील न्यायालय होता है जिसमें अन्य अधिवक्ता व अन्य पक्षकारों की उपस्थिति में पीड़िता का बयान या तो चेम्बर में होता है या तो न्यायालय में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त के अधिवक्ता के समक्ष ही अंकित किया जाता है, ऐसी स्थिति में सिविल के वादों की सुनवाई किया जाना संभव नहीं हो पाया क्योकि पीड़ित/पीड़िता एवं अन्य साक्षीगण के साक्ष्य का अंकन अन्य किसी अधिवक्ता या अन्य पक्षकारों के समक्ष नही किया जाता है। पीड़ित/पीड़िता के साक्ष्य के समय अभियुक्त की प्रत्यक्ष उपस्थिति को भी पॉक्सो एक्ट में मना किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पर्याप्त/अपर्याप्त सिविल वादों के निस्तारण का कोई भी निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है। जहां तक सुलह समझौते के सिविल वादों का संबंध है तो मेरे द्वारा प्रयास किये गये परन्तु कोई भी पक्षकार सहमत नहीं हुआ। उक्त अभिमत को भी सुधार किया जाना चाहिए। भविष्य में प्रार्थी सिविल वादों का सुलह–समझौता के आधार पर निस्तारण हेतु प्रयासरत रहेगा।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की वार्षिक प्रविष्टि के रिमार्क सं0 3 व 4 को सुधारने और समग्र आकलन के उन्नयन के लिए यह प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करनें की कृपा करें।

भवदीय

25.06.2024

(विकास वर्मा–।)
अपर जनपद न्यायाधीश/पूर्णकालिक
सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चन्दौली।